अनुबंध

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को सहायता प्रदान करने के लिए इस विभाग द्वारा एक नई योजना 'राज्यों को पूंजीगत व्यय के लिए विशेष सहायता' शुरू की गई थी, जिसमें वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण के रूप में अधिकतम 12,000 करोड़ रुपये का आवंटन और वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 15,000 करोड़ रुपए के आवंटन की व्यवस्था की थी। इस योजना के तहत वर्ष 2020-21 के लिए 81.50 करोड़ की रुपये की धनराशि और वर्ष 2021-22 के लिए 238.50 करोड़ रुपए की धनराशि केरल को जारी की गई थी। इस योजना के तहत आवंटित की गई निधि का उपयोग नई और वर्तमान में चल रही पूंजीगत परियोजनाओं के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 'पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना' के भाग- I के तहत केरल राज्य को 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 1,540 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। केरल राज्य भी इस योजना के भाग-I के तहत आवंटन के अलावा इस योजना के भाग- IV से VII के तहत निर्धारित सुधार मानदंडों को पूरा करने के अध्यधीन चिह्नित किए गए क्षेत्र में 2,000 करोड़ रुपये तक की धनराशि वाली परियोजनाएं प्रस्तुत कर सकता है। परिणामस्वरूप, इस योजना के तहत केरल के लिए आवंटन भी काफी बढ़ जाएगा।

2. 15 वें वित्त आयोग ने केरल को अनुदान प्रदान करने की अवधि के दौरान (2021-26) 37,814 करोड़ रुपये के राजस्व घाटा अनुदान की सिफारिश की है। इस धनराशि में से वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान केरल राज्य को आवंटित की गई 19,891 करोड़ रुपये की धनराशि के लिए 19,891 करोड़ रुपये की संपूर्ण धनराशि केरल राज्य को जारी की गई थी। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए केरल को 13,174 करोड़ रुपये प्राप्त होने की अपेक्षा है, जिसमें से 18.07.2022 तक 4,391.33 करोड़ पहले ही जारी किए जा चुके हैं।

3. अप्रत्याशित कोविड-19 महामारी को देखते हुए, वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान केरल सहित विभिन्न राज्यों को सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 2 प्रतिशत तक की अतिरिक्त कर्ज सीमा की अनुमति दी गई थी। तदनुसार, केरल राज्य को 18,087 करोड़ रुपये की अतिरिक्त कर्ज की स्वीकृति दी गई।

4. वित्तीय वर्ष 2021-22 में केरल राज्य सहित कतिपय राज्यों को जीएसडीपी के 4% की सामान्य निवल उधार सीमा की अनुमति दी गई थी। विद्युत क्षेत्र में कतिपय कार्य निष्पादन मानदंडों के आधार पर राज्य जीएसडीपी के 0.50% तक के अतिरिक्त कर्ज लेने के पात्र थे। इस प्रकार वर्ष 2021-22 के लिए राज्य जीएसडीपी के 4.5% तक कर्ज लेने के पात्र थे। चालू वित्त वर्ष 2022-23 में केरल राज्य सहित विभिन्न राज्यों को जीएसडीपी के 3.5% की सामान्य शुद्ध कर्ज सीमा की अनुमति दी गई है। इसके अलावा बिजली क्षेत्र में कतिपय प्रदर्शन मानदंडों के आधार पर राज्य जीएसडीपी के 0.50% तक के अतिरिक्त कर्ज लेने के लिए भी पात्र हैं। इस प्रकार वर्ष 2022-23 के लिए राज्य जीएसडीपी के 4% तक कर्ज लेने के पात्र हैं।

5. राज्यों को भुगतान किए जाने वाले माल और सेवा कर (जीएसटी) मुआवजे में कमी को पूरा करने के लिए भारत सरकार द्वारा एक विशेष कर्ज योजना के माध्यम से वर्ष 2020-21 में कर्ज लिए गए बैक टू बैक ऋण के रूप में केरल राज्य को 5,766 करोड़ रुपये जारी किए गए थे। उक्त कर्ज व्यवस्था को चालू वित्त वर्ष 2021-22 में भी बढ़ा दिया गया है। तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2021-22 में केरल राज्य को 8,739.31 करोड़ का कुल अनुमानित जीएसटी मुआवजा पहले ही जारी किया जा चुका है।

6. कोविड-19 महामारी को देखते हुए केरल सहित विभिन्न राज्यों को पर्याप्त अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं। इसलिए राज्य सरकार अपनी प्रासंगिक आवश्यकताओं और अन्य जरूरतों को उनके लिए उपलब्ध अतिरिक्त वित्तीय संसाधन से पूरा कर सकती है।

*****